Difficulties faced by street vendors in Connaught Place

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, एनडीएमसी द्वारा वर्ष 2007 में विक्रेताओं के फॉर्म्स भरवाए गए थे, उनमें से 82 विक्रेताओं को सामान बेचने के लिए पटरी पर बैठने की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटा दिया गया। उपरोक्त कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित 82 विक्रेताओं द्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली में याचिका दायर की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 819, दिनांक 22.06.2016 को न्यायालय द्वारा 82 विक्रेताओं को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक यथावत पुराने स्थान पर बैठ कर सामान बेचने की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया, लेकिन 82 में से 22 विक्रेताओं को न्यायालय के आदेश के बावजूद बैठने की अनुमति न देना न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि शेष 22 विक्रेताओं को बैठने की अनुमति दी जाए, ताकि उनके परिवार को भुखमरी का शिकार होने से बचाया जा सके।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, हम एप्रूव्ड टेक्स्ट ही पढ़ सकते हैं; अपनी ओर से इसमें कुछ और नया जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। श्री विनय दीनू तेंदुलकर।

* Security of information stored in imported communication equipment in various Government offices

श्री विनय दीनू तेंदुलकर (गोवा) : महोदय, चीन से आयातित संचार उपकरण वर्ष 2014 के पूर्व कितने शासकीय और अर्ध-शासकीय प्रतिष्ठानों में स्थापित किए गए थे? इनको स्थापित करने के पूर्व क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि इन उपकरणों में कोई ऐसी व्यवस्था तो स्थापित नहीं है, जिसकी वजह से संग्रहित जानकारियाँ प्रदाता देश से साझा हो रही हैं? क्या उपरोक्त संचार उपकरणों की जाँच कर कोई ऐसी प्रणाली स्थापित की गई थी, जहाँ इन खामियों को खोज कर निष्क्रिय करने की व्यवस्था हो?

महोदय, विदेश में बैठे हैकर्स ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संचार जानकारी संग्रहण केन्द्र की महत्वपूर्ण गोपनीय संचार जानकारी में सेंध लगाई है। इसके लिए भिन्न-भिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में स्थापित संचार उपकरणों की संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम देश के ही अन्य सुरक्षित संग्रह स्थल पर एकत्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त संचार उपकरणों का पुनः निरीक्षण-परीक्षण कर उनके स्थान पर सुरक्षित संचार तंत्र को रखने की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसी जानकारी को असुरक्षित और देश विरोधी ताकतों से साझा करने वालों को सख्त से सख्त दण्ड देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक और निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्य बाहरी निजी प्रतिष्ठानों से कराए जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि उन निजी प्रतिष्ठानों के लिए संचार उपकरणों की जाँच एवं निरीक्षण-परीक्षण को प्रामाणिक करने वाले विकसित संस्थानों से परीक्षण प्रमाण-पत्र अवश्य ही अनिवार्य किया जाए। आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

---

* Laid on the Table.